न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज

प्र०स० 84/19

दायरा दिनांक 16/9/19

निर्णय दिनांक 20/12/19

उनवान

लीलाधर नागर उम्र 21 वर्ष पुत्र प्रेमनारायण जाति धाकड़ निवासी पचलावड़ा तहसील किशनगंज जिला बारां

बनाम — वादी -

1- प्रेमनारायण पुत्र श्री किशन जाति धाकड़ निवासी पचलावड़ा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज०)

2- शान्तिलाल पुत्र श्री किशन जाति धाकड़ निवासी पचलावड़ा तहसील किशनगंज जिला बारां

3- मनोज कुमार पुत्र प्रेमनारायण जाति धाकड़ निवासी पचलावड़ा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज०)

4- मन्जू पुत्री प्रेमनारायण पत्नि [illegible] जाति धाकड़ निवासी पचलावड़ा तहसील किशनगंज हाल निवासी मुण्डला तहसील [illegible]

5- राजकुमारी पुत्री प्रेमनारायण पत्नि [illegible] जाति धाकड़ निवासी पचलावड़ा तहसील किशनगंज हाल निवासी टोली तहसील बमोरी जिला गुना (M.P.)

6- राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 89 90 188 R.T.A.

निर्णय दिनांक 20/12/19

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.23 15:00:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज जिला बारां (राज.)

Scanned with CamScanner

वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90, 188 RTA जरिये अभिभाषक सत्यनारायण गोमत पेश किया। वादपत्र मे वादी ने कथन किया

1. यह कि ग्राम पचलावड़ा पटवार हल्का मामली तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) मे आराजियात खेवट खातोनी नई 137 पुरानी 123 ख0नं0 30 रकबा 19.18 बीघा किस्म बारानी 2 लगानी 9.95 रू0 स्थित है इसमद मे वादी ने आराजियात को वादपत्र मे वादग्रस्त आराजियात के नाम से संबोधित किया गया है।

2. यह कि वादग्रस्त आराजीयात के वर्तमान खातेदार वादी व प्रतिवादी क्रम 3 के पिता प्रतिवादी क्र0 1 भगवानदास शान्ति लाल है यह भूमि प्रतिवादी क्र0 1 व 2 को अपने पूर्वजो की विरासत से प्राप्त हुई है। प्रतिवादी क्र0 1 के वर्तमान मे केवल 2 पुत्र वादी लीलाधर नागर प्रतिवादी क्र0 3 मनोज नागर एव 2 पुत्रियां प्रतिवादी क्र0 4 मन्जू प्रतिवादी क्रम 5 राजकुमारी है। इनके अलावा प्रतिवादी क्र0 1 के विवादित आराजी मे हक एव अधिकार जताने वाला अन्य कोई प्रतिवादी क्र0 1 का वारिस वर्तमान मे जिवित नही है। एव प्रतिवादी क्र0 2 शान्तिलाल लाऔलाद अविवाहित है तथा उसने अपना हिस्सा प्रतिवादी क्रम 1 को मौखिक बंटवारे मे दिया हुआ है। प्रतिवादी क्रम 2 के वादी एव प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के अलावा अन्य कोई वारिस नही है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्र0 1 व 2 को वादी के पूर्वजो से प्राप्त हुई है इस कारण विवादित भूमि मे वादी का कानूनी पेदाईशी हक है वादी एव प्रतिवादी क्र0 1 ता 5 के मध्य हुये मौखिक बंटवारे के अनुसार विवादित भूमि मे वादी का प्रतिवादी क्र0 ... 1/5 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.23 15:00:03 IST
Reason: SelfAttested
उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारां (राज.)
Scanned with CamScanner

प्राप्त हुआ है तथा प्रतिवादी क्र. 1 प्रेमनारायण को
प्रतिवादी क्र. 2 शान्तिलाल का हिस्सा 1/4 प्राप्त हुआ है।
वादी को प्रतिवादी क्र. 1 का 3/4 हिस्सा मौखिक बंटवारे में
प्राप्त हुआ है एवं प्रतिवादी क्र. 2345 ने मौखिक
बंटवारे में विवादित भूमि में कोई हिस्सा नहीं लिया है,
प्रतिवादी क्र. 1,3,4,5 द्वारा अपना हिस्सा वादी के पक्ष में
हकत्याग किया है एवं प्रतिवादी क्र. 2 द्वारा अपना हिस्सा
प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में हकत्याग किया है। वादी
एवं प्रतिवादी क्रम 1 मौखिक बंटवारे के अनुसार विवादित
भूमि पर काबिज काश्त है। वादी विवादित भूमि के
हिस्से 3/4 का एवं प्रतिवादी क्र. 1 विवादित भूमि के
हिस्से 1/4 पर काबिज काश्त है। इस कारण वादी विवादित
आराजी में प्राप्त वादी के हिस्से 3/4 पर प्रतिवादी क्र. 1
के स्थान पर स्वयं को खातेदार घोषित करवाने का
अधिकारी एवं नालिशी है।

(3) यह कि वादी एवं प्रतिवादी क्र. 1 ता 5 का संयुक्त हिन्दु
परिवार है जिसका विभाजन नहीं हुआ है। वादी एवं प्रतिवादी
क्रम 1 मद नं. 1 वाद पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि में से
मौखिक विभाजन में प्राप्त भूमि के अपने अपने हिस्सो पर
काबिज काश्त करते चले आ रहे है परन्तु प्रतिवादी क्र.
1 व 2 अनाधिकृत जबरन वादी को उसके जायज हक से
वन्चित करने के उद्देश्य से मद नं. 1 वादपत्र में वर्णित
वादग्रस्त आराजियात को रहन बेचान व अन्य प्रकार
से अन्तरण कर खुर्दबुर्द करने व वादी को उसके हिस्से
से बेदखल करने पर आमादा है इस कारण वादी खिलाफ
प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का
अधिकारी एवं नालिशी है।

(4) यह कि वादी ने राजस्थान सरकार .... प्रति लिपी तहसीलदार
किशनगंज को दिनांक 2/8/2019 ... बाबत निवेदन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.23 15:00:03 IST
Reason: SelfAttested
उपखण्ड अधिकारी
Scanned with CamScanner

परन्तु इन्होंने कोई ध्यान नहीं दी तथा टाला करने की आदत नहीं छोड़ी जो वाद कारण पैदा हुआ दिनांक 2/8/19 को प्रतिवादी क्र. 1 व 2 ने वादी के हक [illegible] प्रतिवादी क्र. 1 व 2 ने दिनांक 2/8/19 को वादी [illegible] वादपत्र की स्थित प्रतिवादी क्र. 1 व 2 के हिस्से की प्रतिवादी क्र. 1 व 2 [illegible] अन्य प्रकार से [illegible] तथा वादी की [illegible] प्राप्त भूमि में बेदखल करके रहेंगे। इस [illegible] करने का अधिकारी [illegible] प्रतिवादी क्र. 1 ता 5 [illegible]

(5) यह कि वादी द्वारा राजस्थान सरकार के [illegible] जिला [illegible] दिनांक 12/01/19 को अपने अधिवक्ता के माध्यम [illegible] 2 माह अवधि पूर्ण अन्तर्गत धारा 80 CPC का नोटिस [illegible] का होने के कारण 2 माह तक इन्तजार किया [illegible] का होने के कारण 80(2) CPC के [illegible] प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है।

(6) यह कि वाद कारण दिनांक 2/8/19 को उत्पन्न हुआ।

(7) यह कि वाद उचित न्यायशुल्क पर माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की अवधि [illegible] प्रस्तुत है।

अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी [illegible] [illegible] वादपत्र में वर्णित आराजी ग्राम [illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible] में आराजी खसरा नं [illegible] बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.23 15:00:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रकबा बारानी 2 लगानी 9.95 रु० के हिस्से 3/5 पर वादी लीलाधर नागर को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी क्र. 1 के स्थान पर वादी का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें। एवं विवादित भूमि पर वादी के हक में खिलाफ प्रतिवादी आदेश तम्ह एवं निषेधात्मक स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर वादी के हक में दखलंदाजी न करने के लिये प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावें। अन्य यथोचित सहायता वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट सरिश्ता ली गई प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस सम्मन जारी किये नियत तिथी को प्रतिवादी क्र. 1 ता 5 की ओर से अभिभाषक S.K. राणा ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी क्र. 6 स्वयं उपस्थित।

नियत तिथि को उभयपक्ष ने राजीनामा उपस्थित होकर पेश किया, उभय पक्ष ने राजीनामा में कथन किया

(1) यह कि ग्राम पंचायत पथरा (हल्का) मामली तहसील किशनगंज जिला बारां (राज०) में आराजियात खेवट खतौनी नई 137 पुरानी 123 ख०न० 30 रकबा 15.18 बीघा किस्म बारानी 2 लगानी 9.95 रु स्थित है इस मद में वर्णित आराजियात को वादपत्र में वादग्रस्त आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है।

(2) यह कि रिश्तेदारों के समझाने से वादी एवं प्रतिवादी क्र. 1 ता 5 के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है। राजीनामा निम्न प्रकार है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.23 15:00:03 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

(1) राजीनामे मे वादी लीलाधर नागर को प्राप्त भूमि

ग्राम	खसरा नं०	कुल रकबा	राजीनामे मे प्राप्त भूमि
पचलाना	30	17.18 बीघा	हिस्सा 3/4

(2) राजीनामे मे प्रतिवादी क्र. 1 प्रेमनारायण को प्राप्त भूमि

ग्राम	ख०नं०	कुल रकबा	राजीनामे मे प्राप्त भूमि
पचलाना	30	17.18 बीघा	हिस्सा 1/4

(3) यह कि वादी एवं प्रतिवादी क्र. 1 व 3 लगायत 5 के मध्य हुये राजीनामे के अनुसार प्रतिवादी क्र. 1 प्रेमनारायण व प्रतिवादी क्र. 3 मनोज कुमार एवं प्रतिवादी क्र. 4 मन्जू व प्रतिवादिया क्र. 5 राजकुमारी विवादित भूमि मे से कोई हिस्सा नही लेना चाहते है तथा अपने हिस्से का हकत्याग वादी लीलाधर नागर के पक्ष मे किया है वादी प्रतिवादी क्र. 1 का पुत्र है एवं प्रतिवादी क्र. 3 ता 5 का सगा भाई है। एवं प्रतिवादी क्र. 2 आशीर्वाद अविवाहित है इस कारण प्रतिवादी क्र. 2 विवादित भूमि मे से कोई हिस्सा नही लेना चाहता है तथा विवादित भूमि मे स्थित अपने हिस्से 1/4 का हकत्याग अपने सगे भाई प्रतिवादी क्र. 1 प्रेमनारायण के पक्ष मे किया है।

(4) यह कि वादी एवं प्रतिवादी क्र. 1 ता 5 के मध्य हुये राजीनामे के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी क्र. 1 विवादित भूमि पर काबिज कायम हो गये है अब किसी प्रकार का कोई विवाद नही रहा है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी एवं प्रतिवादी क्र. 1 ता 5 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुये

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.23 15:00:03 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

विवादित भूमि-चरण क्र. 1 वादपत्र एवं राजीनामे
में वर्णित आराजी ग्राम पचलावडा पट्टा (हल्का मामली तहसील
किशनगंज जिला बारां (राज०) में आराजी ख०न० 30
रकबा 19.18 बीघा किस्म बारानी 2 लगानी 1.15 रु०
के हिस्से 3/4 प्रतिवादी क्र. 1 प्रेमनारायण के स्थान पर
वादी लीलाधर नागर को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व
रिकार्ड में प्रतिवादी क्र. 1 प्रेमनारायण के स्थान पर वादी
लीलाधर का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।
विवादित भूमि-चरण क्र. 1 वादपत्र एवं राजीनामे में वर्णित
आराजी ग्राम पचलावडा पट्टा (हल्का मामली तहसील किशनगंज
जिला बारां (राज०) में आराजी ख०न० 30 रकबा 19.18
बीघा किस्म बारानी लगानी 1.15 रु० के हिस्से 1/4
पर प्रतिवादी क्र. 2 शान्तिलाल के स्थान पर प्रतिवादी
क्र. 1 प्रेमनारायण को खातेदार घोषित किया जाकर
राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी क्र. 2 शान्तिलाल के स्थान
पर प्रतिवादी क्र. 1 प्रेमनारायण का नाम दर्ज किये
जाने के आदेश प्रदान करें।

राजीनामा में वादी की पहचान अधिवक्ता सत्यनारायण
गोयल ने की प्रतिवादीगण की पहचान प्रतिवादी अधि०
S.K. राणा ने की। राजीनामा रिकार्ड पर लिया जाकर
तस्दीक किया गया। राजीनामानुसार वादी का वादपत्र
अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 व 188 RTA स्वीकार
किया जाता है एवं इस आशय का निर्णय पारित
किया जाता है कि

:: क्रियात्मक आदेश ::

चकग्राम पचलावडा पट्टा ... तहसील

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.23 15:00:03 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

किशनगंज मे स्थित आराजी ख० न० 30 रकबा 19.18 बीघा के हिस्से 3/4 पर प्रतिवादी क्र 1 प्रेमनारायण के स्थान पर वादी लीलाधर नागर को खातेदार घोषित किया जाता है, चालू राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी क्रम 1 प्रेमनारायण के स्थान पर वादी लीलाधर नागर का नाम दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जाते है। मौजा पचलावडा पटवार (हल्का) मामली तहसील किशनगंज की आराजी ख० न० 30 रकबा 19.18 बीघा के हिस्से 1/4 पर प्रतिवादी क्रम 2 शान्तिलाल के स्थान पर प्रतिवादी क्रम 1 प्रेमनारायण को खातेदार घोषित किया जाता है चालू राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी क्र 2 शान्तिलाल के स्थान पर प्रतिवादी क्रम 1 प्रेमनारायण का नाम दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जाते है। तदनुसार डिक्री पत्र जारी हो। निर्णय आज दिनांक 20/12/19 को सेडइजलास सुनाया गया।

(Seal: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज, जिला बारां (राज.))

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी,
किशनगंज, जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.23 15:00:03 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner